

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

प्रशासन गौली की रजि.
कॉपीकरण-2021

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम बडसर की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 के खाता संख्या 67 में गुरा नाम जाना डल दी जानकारी सही ड नाम कहेमासाक

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

(कहेमासाक)

दिनांक:- 25/11/21

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम बडसर के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 के खाता संख्या 67 में प्रार्थी का नाम जाना दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न आधा व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम कहेमासाक है। जो संशोधित किया जा उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि. दिनांक
11/12/21

पटवारी कहेमासाक
08/12/21

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिपोर्ट पटवारी कहेमासाक व भू0अ0नि0 दीकोरा एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर बडसर की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 की खाता संख्या 67 में प्रार्थी का जाना के बजाय कहेमासाक किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
कहेमासाक
शाहपुरा(भीलवाड़ा)

5050 1497/21
13/12/21

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम बडसर जमाबन्दी सम्वत् 2076 79 खाता

ख्या 67 में दर्ज प्रार्थी का नाम जाना के स्थान पर कहेमासाक संशोधन के

पेश दिये जाते हैं।



प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा(भीलवाड़ा)